पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 06 अभियुक्त व एनबीडब्ल्यू में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 16.06.2024

दिनांक 15/16.06.2024 को थाना दुबग्गा 01, गोमतीनगर विस्तार 04, माल 01 अभियुक्त व एनबीडब्ल्यू में थाना माल 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 06 अभियुक्त व एनबीडब्ल्यू में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना गोसाईगंज -दिनांक 15.06.2024 को उ0नि0 श्री परमानन्द सिंह थाना गोसाईगंज द्वारा मय महिला आरक्षी हमराही दौराने गस्त अभियुक्ता 01-दशरथदेई पत्नी महिपाल निवासिनी ग्राम सुरहईया शहजादपुर अमेठी थाना गोसाईगंज लखन्नऊ को सरहईया शहजादुपर कस्बा अमेठी थाना गोसाईगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक अदद प्लास्टिक की पिपिया मे कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना चिनहट- दिनांक 16.06.2024 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि श्री गंगाप्पा पुत्र साडप्पा निवासी बेलहगंल थाना बेलहगंल जिला बेलगाम कर्नाटक ने थाना चिनहट पर सूचना दी कि वह अपनी डीसीएम गाडी नं0 KA48A2569 में टाटा का समान टाटा पार्क इंडस्ट्री के यहां लेकर दिनांक 15/06/2024 को शाम करीब 07.00 बजे जैनाबाद चिनहट लखनऊ पहुँचा। वह गाड़ी के ऊपर केबिन पर सो गया और खालासी मोहम्मद अली पुत्र मुगटशाव निवासी खड़वी गली थाना बेलहगल जिला बेलगांव कर्नाटक उम्र करीब 32 वर्ष केबिन में सोने चला गया परन्तु रात में बाहर निकल कर कब सो गया हम नही जानते है। दिनांक 16/06/2024 सुबह समय करीब 05.00 बजे जागा तो देखा कि मोहम्मद अली उपरोक्त नीचे जमीन पर सोया है उनके द्वारा मोहम्मद अली उपरोक्त को जगाने का काफी प्रयास किया तो वह नही जागा और न ही शरीर में कोई हरकत हुई। उनके द्वारा मोहम्मद अली को हिला डुला कर देखा तो उसके हाथ पैर ठण्डा होकर अकड़ गया था। तब उनको पूरा विश्वास हो गया कि उनका खल्लासी मुहम्मद अली उपरोक्त कि मृत्यु हो चुकी है। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री संजय सिंह यादव मो0नं0- 6396879814 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक मोहम्मद अली उपरोक्त के 03 बच्चे है।

थाना मडियांव- दिनांक 15.06.2024 को थाना कृष्णानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री राजेन्द्र चौवे पुत्र स्व0 हरिहर प्रसाद चौबे निवासी 554ख/380 विश्वेश्वर नगर आलमबाग थाना कृष्णानगर लखनऊ ने थाना कृष्णानगर पर सूचना दिया कि दिनांक 02/06/2024 से 11/6/24 तक वादी के घर पर कोई नही था जब दिनांक 12/06/2024 को वादी व वादी का परिवार प्रातः 10.00 बजे घर के मेन गेट का ताला खोलकर अन्दर गये तो देखा घर के अन्दर के सभी दरवाजे के ताले टूटे है। और सामान बिखरा पड़ा है तथा आलमारी का लॉक भी टूटा मिला जिसमें से सारे जेवरात (वेसलेट, चैन, कान का झुमका, नथिया मांग टीका मंगल सूत्र व पाव जेव) और 50,000/- रुपये नगद को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। **इस सूचना पर थाना कृष्णानगर पर मु0अ0सं0- 253/2024 धारा-457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना मडियांव-</u> दिनांक 15.06.2024 को थाना मडियांव द्वारा बताया गया कि वादी श्री शफीक अहमद पुत्र स्व0 लल्लन निवासी 643 भ/325 मोहिबुल्लापुर सीतापुर रोड कोतवाली मडियांव लखनऊ ने थाना मडियांव पर सूचना दिया कि वादी दिनांक 14.06.2024 को शाम समय लगभग 06.45 बजे मोहिबुल्लापुर स्टेशन स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे निकालने गया, वहां पर भीड अधिक होने के कारण कई लोग एटीएम केबिन में खड़े थे। किसी कारण वश वादी के कार्ड से पैसे नही निकले। वादी के पीछे खड़े लगभग 28-30 वर्षीय युवक ने वादी से कहा कि कार्ड लेस विड्राल कर लो इतना कहने के साथ ही उसने एटीएम आप्रेट करना शुरू कर दिया उस पर भी पैसे नही निकले उसने एटीएम कार्ड मशीन से निकाल वादी को दे दिया, कार्ड वापस करने के दौरान उसने वादी का कार्ड बदल दिया, और बिलकुल उसी रंग का उसी बैंक का कार्ड वादी को दे दिया। जिसका वादी ने ध्यान नहीं दिया। अगले एटीएम से भी पैसे नही निकले तब वादी ने ध्यान से देखा कि कार्ड बदल गया है। इस दौरान मोबाइल पर विड्राल के मैसेज आने लगे। तब वादी ने मोबाइल ऐप से अपना कार्ड ब्लॉक किया इस दौरान उस फ्राडी ने 36,000/-रू0 निकाल लिया। **इस सूचना पर थाना मडियांव पर मु0अ0सं0- 366/2024 धारा- 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**